संख्या-57/2016/1539/35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य ससमय सम्पन्न करवाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-48/2016/1144/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 10.06.2016 के द्वारा आप सभी को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्षेत्र कार्य के उपरांत प्राप्त होने वाले संशोधनों एवं नए सदस्यों की सूचनाओं को डेटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेन्टरों की स्थापना करवाते हुए इस कार्य को 120 दिवसों में पूर्ण करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए सेवा प्रदाता का चयन कर इस कार्य को प्रारम्भ करवाना था।

2- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या-9/26/2015-सीआरडी(एनपीआर) Vol-II दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अद्यतन एनपीआर डाटाबेस को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (DBT) हेतु प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु डीबीटी प्लेटफार्म तैयार करने के उद्देश्य से एनपीआर डाटाबेस में संशोधनों को समाहित करते हुए अंतिम रूप शीघ्र प्रदान किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से सेवा-प्रदाता (वेंडर) के चयन हेतु समस्त औपचारिकताएं अविलम्ब पूर्ण कर ली जायॅ एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह तैयारी पूर्ण होने की सूचना नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन एवं जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ को तत्काल प्रेषित कर दी जाय जिससे यह कार्य अपने निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

संख्या-57/2016/1539 (1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-डीसीओ- यूपी/35-2015/एनपीआर-306, दिनांक 11 जुलाई, **2016** के संदर्भ में।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http:/ sh sa adesh up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।